लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1300

03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम मित्र पार्क में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन

1300. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क योजना को क्रियान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) का निर्माण करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भारत के वस्त्र क्षेत्र को वैश्विक बाजार में लोकप्रिय बनाने तथा भारतीय वस्त्रों एवं भारतीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) तकनीकी वस्त्र जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में स्टार्ट-अप कम्पनियों और युवा वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क योजना और अन्य वस्त्र स्टार्टअप के कार्यान्वयन के मामले में महाराष्ट्र और इसके पालघर जिले की स्थिति क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ङ): सरकार ने 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए 7 स्थलों अर्थात तमिलनाडु (विरुद्धनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ), महाराष्ट्र (अमरावती) को अंतिम रूप दिया गया है।

इस योजना का उद्देश्य स्पिनिंग, वीविंग, प्रसंस्करण, गारमेंटिंग, वस्त्र विनिर्माण, प्रसंस्करण और मुद्रण मशीनरी उद्योग के लिए वस्त्र उद्योग की कुल मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचे की सुविधा विकसित करना है।

पीएम मित्र पार्क, अमरावती की आधारशिला दिनांक 20.09.2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। इस परियोजना का क्रियान्वयन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा किया जा रहा है।

सरकार एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का भी क्रियान्वयन कर रही है, ताकि वस्त्र उद्योग को आकार और पैमाना प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके।

इसके अलावा, भारत सरकार वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं/पहलों को लागू कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) शामिल है,** जिसे देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, **समर्थ** - वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना जिसका उद्देश्य मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुखी, कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है; बेंचमार्क वस्त्र मशीनरी में पात्र निवेश के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए **एटीयूएफएस;** रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए **सिल्क समग्र-2;** हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के लिए एंड टू एंड सहायता के लिए **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)** और **राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)** आदि है।

एनटीटीएम के तहत, तकनीकी वस्त्रों में आकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान (ग्रेट) योजना शुरू की गई है, ताकि स्टार्ट-अप इको सिस्टम को सहायता दी जा सके। इस योजना के तहत, तकनीकी वस्त्रों में युवा नवप्रवर्तकों/उद्यमियों को उनके विचारों को वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों/उत्पादों में बदलने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करके सहायता प्रदान की जाती है।

***